# सऊदी अरब कबूल सकता है कि पूछताछ के दौरान हुई पत्रकार खशोगी की मौत

वॉशिंगटन, 16 अक्तूबर (भाषा)।

समझा जाता है कि सऊदी अरब शासन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसमें वह स्वीकार कर सकता है कि असंतुष्ट पत्रकार जमाल खशोगी की मौत इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में पूछताछ के दौरान हुई। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ऐसी आशंका है कि तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में खशोगी की हत्या कर दी गई।

इस घटना पर खासकर अमेरिका में आक्रोश है, क्योंकि मूल रूप से सऊदी नागरिक खशोगी अमेरिका के वैध स्थायी नागरिक थे और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते थे। अमेरिकी सांसद सऊदी अरब के साथ 110 अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा रक्षा करार रद्द करने की मांग कर रहे हैं जबकि कई कंपनियों, सीईओ, अखबारों ने सऊदी अरब में होने जा रहे एक वित्तीय सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सऊदी अरब के किंग सलमान से बात की जिसमें सलमान ने लापता पत्रकार के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि खशोगी उसके दूतावास से चले गए थे। लेकिन अब तक उसने इसके कोई सबूत नहीं दिए हैं।

**मीडिया रिपोर्ट**

**सीएनएन ने सोमवार को खबर दी कि सऊदी अरब एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसमें वह स्वीकार करेगा कि पत्रकार जमाल खशोगी की मौत पूछताछ के दौरान हुई।**

ट्रंप ने इस मामले में सऊदी अरब को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने सऊदी नेता से बातचीत के लिए अपने विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ को रवाना किया है। वैश्विक आक्रोश के बीच सीएनएन ने सोमवार को खबर दी कि सऊदी अरब एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसमें वह स्वीकार करेगा कि खशोगी की मौत पूछताछ के दौरान हुई। दो अज्ञात सूत्रों के हवाले से चैनल ने कहा कि पूछताछ का मकसद तुर्की से उनके अपहरण के बारे में जानकारी हासिल करना था।

चैनल ने कहा, 'एक सूत्र ने बताया कि रिपोर्ट में यह निष्कर्ष सामने आ सकता है कि मंजूरी और पारदर्शिता के बगैर अभियान को अंजाम दिया गया और इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।' हालांकि, चैनल ने कहा कि रिपोर्ट में बदलाव भी किया जा सकता है क्योंकि उसे अभी तैयार ही किया जा रहा है।

# म्यांमा में विमान हादसों में दो पायलटों की मौत

यंगून, 16 अक्तूबर (एएफपी)।

म्यांमा में घने कोहरे की वजह से मंगलवार को अलग-अलग विमान दुर्घटनाओं में दो लड़ाकू पायलटों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि विमान का एक टुकड़ा एक घर पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से उस घर में एक लड़की की मौत हो गई। वायु सेना के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि खराब दृश्यता के कारण एफ-7 जेट विमान यंगून से करीब 500 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम मैगवे वायुसेना अड्डे के पास दूरसंचार टावर में चला गया।

नाम न बताने की शर्त पर उस अधिकारी ने बताया, 'उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।' नजदीकी मिन बुउ शहर से सांसद क्याव स्वान यी ने कहा कि विमान के टावर से टकराने के बाद उसका एक हिस्सा एक घर पर गिरा, जिससे उस घर में 10 वर्षीय लड़की उसके चपेट में आ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी।

अधिकारियों के मुताबिक यहां से महज 16 किलोमीटर दूर हुई दूसरी घटना में पायलट अपने विमान से बाहर निकल तो गए थे लेकिन जमीन पर गिरने से उसकी मौत हो गई। क्याव स्वान यी ने कहा कि मैगवे के मुख्यमंत्री और सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ने लड़की के परिजन के प्रति अपनी संवेदना जताई।

# प्रतिबंध के लिए उ. कोरिया ने की अमेरिका की आलोचना

सियोल, 16 अक्तूबर (एएफपी)।

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने गुरुवार को प्योंगयांग पर प्रतिबंध बरकरार रखने के लिए अमेरिका की आलोचना की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अंतर कोरियाई संबंध में प्रगति को बाधित रोकने का आरोप लगाया। इस आलोचना के बाद वाशिंगटन और परमाणु शक्ति से संपन्न उत्तर कोरिया के बीच चल रही वार्ता में दिक्कतें आ सकती हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ट्रंप के बीच जल्द ही दूसरी शिखर वार्ता आयोजित होने की उम्मीद है।

इस साल जून में सिंगापुर में पहली बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण के संकल्प पर हस्ताक्षर किया था। संकल्प अस्पष्ट शब्दों में लिखा गया था। तब से इस दिशा में दोनों तरफ से बहुत कम प्रगति हुई है और दोनों पक्ष इसके पाठ्य को लेकर झगड़ रहे हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजंसी केसीएनए ने बताया कि वाशिंगटन 'दोहरा खेल' खेल रहा है।

# स्टॉर्मी डेनियल का ट्रंप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज

लॉस एंजिलिस, 16 अक्तूबर (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल के खिलाफ बड़ी कानूनी जीत हासिल की, जब एक संघीय अमेरिकी न्यायाधीश ने उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया। डेनियल का असली नाम स्टीफनी क्लिफोर्ड है, जिनका आरोप है कि नवंबर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के कुछ समय पहले ट्रंप के वकील ने उन्हें ट्रंप के साथ उनके कथित संबंध को लेकर मुंह बंद रखने की एवज में 130,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। डेनियल ने इस बाबत भी ट्रंप के खिलाफ अलग से एक मुकदमा किया है।


## PTC India Limited

PTC India

CIN: L40105DL1999PLC099328
Registered Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi - 110066
Phone: 011-41595100, Fax: 011-41659144
Website: www.ptcindia.com, E-mail: info@ptcindia.com

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**

Notice is hereby given to the Shareholders of the PTC India Limited ("the Company") whose shares are proposed to be transferred to Investor Education and Protection Fund(IEPF) in accordance with the section 124(6) ("the Provisions") and Rule 6(3)(a) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"). As per provisions, all shares in respect of which dividend have not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred to IEPF.

In this regard, the Company has completed the posting of specific communications to the concerned shareholders whose dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years, at their latest available address with the Depository/ R&TA mentioning complete details of the shares due for transfer into IEPF.

To know the details of such shareholders please refer www.ptcindia.com.

Shareholders who have not claimed their dividend for a period of seven consecutive years, can write to the Company at the Registered office (or email at info@ptcindia.com to our Registrar and Share Transfer Agent (Address: MCS Share Transfer Agent Limited, Unit: PTC India Limited, 1st Floor, F–65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 or email at admin@mcsregistrars.com)for further details and for making a valid claim of the unclaimed dividend lying with the Company Shareholders can also refer to the details available on www.iepf.gov.in .

For **PTC India Ltd**

Sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Company Secretary
F-4998

Place: New Delhi
Date: 16th October, 2018

DAAWAT

एलटी फूड्स लिमिटेड
CIN NO L74899DL1990PLC041790
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 134, तल 1, रेक्टैंगल 1, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110017
कॉर्पोरेट कार्यालयः एमवीएल– I पार्क, तल 4, सेक्टर–15, गुरुग्राम–122001, हरियाणा,
दूरभाषः 0124-3055100, फैक्सः 0124-3055199
ई–मेल आईडीः ir@ltgroup.in वेबसाइटः www.ltgroup.in

**सूचना**

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण एवं उद्घोषणा उत्तरदायित्व) विनियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 14 नवंबर, 2018 दोपहर 12.00 बजे कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय – तल 4, एमवीएल– I पार्क, सेक्टर–15, गुरुग्राम –122001 में होगी जिसमें अन्य कार्यों के अलावा 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा, उन्हें अनुमोदित और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ltgroup.in और दोनों स्टॉक एक्सचेंज़ों की वेबसाइटों अर्थात् www. bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारकों से आग्रह है कि यदि निदेशक मंडल की आगामी बैठक में विमर्श के लिए उनका कोई प्रश्न हो तो वर्ड फाइल में ir@ltgroup.in को भेजें। इसमें अपना नाम, पता, फोलियो नं./डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी समेत आपके पास उपलब्ध शेयरों की संख्या भी लिखें।

एलटी फूड्स लि.
मोनिका चावला जगिया
(कम्पनी सचिव)
सदस्यता सं. F5150

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 17/10/2018

**समक्ष राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल**
**नई दिल्ली स्थित मुख्य बैंच, नई दिल्ली**
**FORM NO. CAA. 2**
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (3) के अनुपालन में एवं रूल 6 एवं 7 कम्पनीज़ (समझौता, व्यवस्था, समामेलन) रूल 2016]
**कम्पनी आवेदन सं. CA(CAA)-148(PB)/2018**
**के मामले में :**

श्रीराम ऑटोमोटिव प्राडक्टस् लिमिटेड **(अंतरक कंपनी)**
**एवं**
श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लिमिटेड **(अंतरिती कंपनी)**
एवं उनके संबंधित अंशधारक एवं लेनदार

**श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लिमिटेड के इक्विटी अंशधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठक कराये जाने हेतु सूचना का विज्ञापन**

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 03.10.2018 को राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ("ट्रिब्यूनल") द्वारा निर्देश दिया है कि अंतरिती कंपनी की दो बैठक आयोजित की जांय जिसमें एक बैठक 'इक्विटी अंशधारकों' एवं दूसरी बैठक 'असुरक्षित लेनदारों' की बैठक की जाए एवं यदि उपयुक्त हो तो, संशोधनों सहित या रहित अंतरक कंपनी व अंतरिती कंपनी एवं उनके संबंधित अंशधारकों एवं लेनदारों के मध्य समिश्रण की योजना जैसा कि उसमें निहितार्थ है को स्वीकृति दी जाय।
उक्त आदेश के अनुपालन में जैसा कि उसमें आदेशित है एतद् द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि अंतरिती कंपनी के 'इक्विटी अंशधारकों' (जिनकी शेयरधारिता 03.08.2018 तक हो) की एक बैठक पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाऊस, नं. 4/2, श्री इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांती मार्ग, नई दिल्ली–110 016, इंडिया में बुधवार दिनांक 21.11.2018 समय सुबह 11.00 बजे होगी, इक्विटी अंशधारकों से निवेदन है कि उक्त समय व स्थान पर उपस्थित रहें।
उक्त आदेश के अनुपालन में जैसा कि उसमें आदेशित है एतद् द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि अंतरिती कंपनी के 'असुरक्षित लेनदारों' (कट–ऑफ डेट 31.07.2018 तक) की एक बैठक पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाऊस, नं. 4/2, श्री इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांती मार्ग, नई दिल्ली–110 016, इंडिया में बुधवार दिनांक 21.11.2018 दोपहर 02.00 बजे होगी, असुरक्षित लेनदारों से निवेदन है कि उक्त समय व स्थान पर उपस्थित रहें।
उक्त समिश्रण की योजना की प्रति एवं विवरण की प्रतियां धारा 230 के अधीन अंतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं या अंतरिती कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर. श्रीनिवासन (011–46451100), संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं कम्पनी सचिव से दो दिन के भीतर (शनिवार, रविवार व सार्वजनिक अवकाश दिवस को छोड़ कर) अंशधारकों /लेनदारों की मांग पर भी प्राप्त की जा सकती हैं। जो व्यक्ति बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए अधिकृत हों, व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा मत दे सकते हैं बशर्ते कि सभी परोक्षी को निर्धारित प्रारूप में, बैठक से न्यूनतम 48 घंटे पहले अंतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हो। कम्पनी पोस्टल बैलट एवं ई–वोटिंग की भी सुविधा प्रदान कर रही है ताकि अंतरिती कंपनी के अंशधारक अपने मतदान का प्रयोग उपरोक्त ट्रिब्यूनल द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव के नोटिस पर वोट कर सकें। कम्पनी ने सेंट्रल डिपोजीटरी सर्विसिज (इंडिया) लि. ("सीडीएसएल") को अपने सभी अंशधारकों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु इस कार्य में लगा रखा है। ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु सीडीएसएल की ई–वोटिंग वेवसाइट www.evotingindia.com. में लॉगइन करें। नाटिस में प्रस्तावित संकल्प में पोस्टल बैलट एवं ई–वोटिंग का दिन दिनांक 19.10.2018 समय सुबह 09.00 बजे से प्रारंभ होगा एवं दिनांक 18.11.2018 समय शायं 05.00 बजे समाप्त होगा।
कम्पनी अपने सदस्यों को पोलिंग पेपर से भी वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है जो बैठक में सम्मिलित होंगे और जिन्होंने पोस्टल बैलट एवं ई–वोटिंग से अपनो वोट कास्ट न किया हो।
प्रॉक्सी के फार्म अंतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकते हैं या अंतरिती कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर. श्रीनिवासन से भी प्राप्त की जा सकते हैं
समिश्रण की योजना एवं विवरण अंतरिती कंपनी के अंशधारकों /लेनदारों की बैठक की सूचना कम्पनी की वैवसाइट : "http://shrirampistons.com/investors-guide.html" पर भी उपलब्ध है।
ट्रिब्यूनल ने श्री राकेश खन्ना, अधिवक्ता को अध्यक्ष और सुश्री प्राची जौहरी, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह समिश्रण की योजना, अगर उपरोक्त बैठकों में मंजूरी दे दी जाती है तो बाद में नई दिल्ली स्थित माननीय एनसीएलटी, मुख्य बैंच के स्वीकृति के अधीन होगी।
दिनांक : 13.10.2018
हस्ता./– **राकेश खन्ना,** (अधिवक्ता) बैठकों हेतु नियुक्त अध्यक्ष

## हिसार मेटल इंड़स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार–125005 (हरियाणा)
फोनः 01662-220067, 220367, 220738, फैक्सः 011-43851119
ई–मेलः info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com, वेबः www.hisarmetal.com
सीआईएन नं0. L74899HR1990PLC030937,

**शेयरधारकों के लिए सूचना**

**निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण**

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016; समय–समय पर यथासंशोधित ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी को नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डिमेट खाते में उन सभी शेयरों का अंतरण करना अनिवार्य है जिन पर निरतर सात वर्षों की अवधि से लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या भुगतान का दावा नहीं किया गया है।

कथित नियमों के अनुपालन में, कंपनी उन संबंधित शेयरधारकों से व्यक्तिगत रूप से पत्राचार कर रही है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। कंपनी के अपनी वेबसाइट www.hisarmetal.com पर ऐसे सभी शेयरधारकों के विवरण अपलोड किये हैं जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी नियमों के निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर नियत तिथि अर्थात 26 अक्टूबर, 2018 से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित शेयरों चाहे वह भौतिक प्रारूप में हो या डिमेट प्रारूप में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित कर देगी।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनके शेयर अंतरित किये जाने हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करेगी और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी होने के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जो उनके नाम पंजीकृत हैं, स्वतः ही निरस्त एवं गैर–विनिमेय हो जाएंगे। शेयरधारक कृपया नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किये गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाए। डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनके शेयर अंतरित किये जाने हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्य के माध्यम से उन डिपॉजिटरी को सूचित करेगी जहां संबंधित शेयरधारकों का अपना खाता है।

संबंधित शेयरधारकों से एतदद्वारा हमारे आरटीए या कंपनी के पास आवेदन करके अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश(शों) का दावा करने के लिए अनुरोध किया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये जाएंगे।

शेयरधारकों कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित की गई अदावाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किये गए शेयरों और ऐसे शेयरों पर उपार्जित सभी लाभ, यदि कोई हो, को वापिस पाने के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विषय पर किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए कृपया कंपनी को info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com पर लिखे अथवा आरटीए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., डी–153/ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020, फोनः 011–64732681–88, ई–मेलः admin@skylinerta.com से सम्पर्क करें।

कृते हिसार मेटल इंड़स्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/–
(विशेष कुमार चुघ)
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सं. नं0. ए11722

स्थान : हिसार
दिनांकः 17 अक्टूबर 2018

**अपुरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड**
**CIN: L74899DL1983PLC016713**
**E: apoorvaleasing@gmail.com;**
**W: www.apoorvaleasingfinance.com**
**पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, 13/331, गीता कालोनी, दिल्ली-110031**

**सूचना**

सेबी के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 22 अक्टूबर, 2018 को कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय में सायं 04:00 बजे आयोजित की जायेगी।
"कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सुनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने प्रश्न/कार्यसूची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल मे अपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी के एवं शेयर धारित संख्या के साथ apoorvaleasing@gmail.com पर आमंत्रित है।"
सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.apoorvaleasingfinance.com एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट viz www.msei.in पर उपलब्ध है।

**बोर्ड के आदेशानुसार**
**कृते अपुरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड**
हस्ता०/–
अतुल सिंह त्यागी
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 16.10.2018

HDFC
WITH YOU, RIGHT THROUGH

## हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाषः 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइटः www.hdfc.com

**कब्जा सूचना**

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

| क्र. सं. | कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या | बकाया राशि | मांग सूचना की तिथि | कब्जा करने की तिथि | अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री. दिनेश अरोड़ा एवं पी के अरोड़ा ऋण खाता सं. 600447193 | 30–सितम्बर–15* को बकाया रु.19,68,518/– (केवल उन्नीस लाख अड़सठ हज़ार पॉच सौ अठारह रुपए) | 31–अक्टूबर –15 | 12–अक्टूबर –18 (भौतिक) | प्लॉट नं. एफ–1, फ्रंट–एलएचएस, प्रथम तल, एमआईजी, प्लॉट नं. बी–82, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–2, साहिबाबाद, गाजियाबाद और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण |

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार/रों/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) और विधिक प्रतिनिधि (यों) बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदार/रों/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी/रियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्र. सं. 1 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) का **भौतिक कब्ज़ा** अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्ज़दार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्ज़दार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्ज़दार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/–
प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16.10.2018
पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020

Thyrocare®
Think Thyroid. Think Thyrocare.

## THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity No. (CIN): L85110MH2000PLC123882
Registered and Corporate Office: D-37/1, TTC Industrial Area, MIDC, Turbhe, Navi Mumbai, Maharashtra - 400703. Tel.: 022-3090 0000/4125 2525; Fax: 022-2768 2409
Email: ramjee.d@thyrocare.com; Website: www.thyrocare.com
Company Secretary & Compliance Officer: Mr. Ramjee Dorai

**POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED**

**This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with Regulation 19(7) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter).**

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement published on September 11, 2018 ("**Public Announcement**"), issued in connection with the Buyback (as defined below). Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

**1. THE BUYBACK**

1.1. Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("**Companies Act**") and applicable rules thereunder, and the provisions of the Buyback Regulations, Article 13 of the articles of association of the Company, and pursuant to the resolutions passed by the board of directors of Thyrocare Technologies Limited (the "**Company**") (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "**Board**" or the "**Board of Directors**") at their meeting held on August 4, 2018 (the "**Board Meeting**"), the Board sought approval of the shareholders of the Company at its annual general meeting held on September 1, 2018 ("**General Meeting**") for the proposal of the buyback of Equity Shares. The shareholders had, in the above General Meeting, approved the said proposal of the buyback of the Company's fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each (Rupees Ten only) (the "**Equity Shares**") from its shareholders/beneficial owners, other than those who are promoters or the persons in control of the Company and promoter group (hereinafter collectively referred to as the "**Promoters**"), from the open market through stock exchange mechanism i.e. using the electronic trading facilities of the Stock Exchanges, for a total amount not exceeding ₹ 63,00,00,000/- (Rupees Sixty Three Crore only) (the "**Maximum Buyback Size**"), and at a price not exceeding ₹ 730/- (Rupees Seven Hundred and Thirty only) per Equity Share ("**Maximum Buyback Price**"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "**Buyback**"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include brokerage costs, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty and other transaction charges (collectively referred to as "**Transaction Costs**"). The Maximum Buyback Size represents 14.97% of the aggregate of the paid-up share capital and free reserves as per the audited financial statements of the Company as at March 31, 2018 (being the latest available audited financial statements of the Company).

1.2. The Buyback commenced on September 24, 2018 and closed on October 15, 2018. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized 99.99% of Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback.

1.3. The total number of shares bought back under the Buyback is 9,58,900 Equity Shares.

**2. DETAILS OF THE BUYBACK**

2.1 The Company bought back an aggregate of 9,58,900 Equity Shares, utilizing a total of ₹ 62,99,99,729/- (Rupees Sixty Two Crore Ninety Nine Lakh Ninety Nine Thousand Seven Hundred and Twenty Nine only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.99% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchange. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹ 670 per Equity Share while the lowest price was ₹ 609 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 657 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Nomura Financial Advisory & Securities (India) Private Limited ("**Company's Broker**") and exclude Transaction Costs.

2.2 The pay-out formalities shall be completed as per the normal settlement calendar of the Stock Exchanges. The Company has extinguished 131,280 Equity Shares till date and the Company is in the process of extinguishing the remaining 827,620 Equity Shares bought back.

2.3 All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchange. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchange, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.

**3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**

3.1 The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and as on October 15, 2018 (post completion of the Buyback) is set forth below:

In Rupees

| Sr. No. | Particulars | Pre-Buyback (as on the date of the Public Announcement) | Post Buyback* (as on October 15, 2018) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Authorized Share Capital:** | | |
| | 10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each | 1,00,00,00,000/ | 1,00,00,00,000/- |
| | **Total** | **1,00,00,00,000/-** | **1,00,00,00,000/-** |
| 2 | **Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital:** | | |
| | 5,37,23,533 Equity Shares of ₹ 10/- each | 53,72,35,330 | |
| | 5,27,64,633 Equity Shares of ₹ 10/- each | | 52,76,46,330 |
| | **Total** | **53,72,35,330** | **52,76,46,330** |

** The Company is in the process of extinguishing the balance of 827,620 Equity Shares out of the total of 958,900 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.*

3.2 The shareholding pattern of the Company pre-Buyback and post-Buyback is set forth below:

| Category of the Shareholder | Pre-Buyback | | Post Buyback# | |
|---|---|---|---|---|
| | No. of Shares | % to the existing Equity Capital | No. of Shares | % to the existing Equity Capital |
| (A) Promoter & Promoter Group | 3,43,61,745 | 63.96 | 3,43,61,745 | 65.12 |
| (B1) Institutions | 1,51,56,876 | 28.21 | 1,84,02,888 | 34.88 |
| (B2) Central Government/ State Government(s)/President of India | - | - | | |
| (B3) Non-Institutions | 42,03,904 | 7.83 | | |
| (B) Public | 1,93,60,780 | 36.04 | | |
| (C1) Shares underlying DRs | - | - | | |
| (C2) Shares held by Employee Trust | 1,008 | 0.00 | | |
| (C) Non-Promoter-Non-Public | 1,008 | 0.00 | | |
| **Total** | **5,37,23,533** | **100.00** | **5,27,64,633** | **100.00** |

*# The Company is in the process of extinguishing the balance of 827,620 Equity Shares out of the total of 958,900 Equity Shares bought back. The post-Buyback shareholding pattern is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.*

**4. MANAGER TO THE BUYBACK**

NOMURA

**NOMURA FINANCIAL ADVISORY AND SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED**
Ceejay House, Level-11, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018
**Tel:** 022 4037 4037; **Fax:** 022 4037 4111
**Contact Person:** Vishal Kanjani / Srishti Tyagi
**Email:** Thyrocarebuyback2018@nomura.com
**Website:** www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html
**SEBI Registration Number:** INM000011419

5. For further details please refer to the Company's website (www.thyrocare.com) and the website of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com)

**6. DIRECTORS' RESPONSIBILITY**

As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this post-Buyback public advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

**For and on behalf of the Board of Thyrocare Technologies Limited**

| Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|
| Velumani A | A Sundararaju | Ramjee Dorai |
| Managing Director & CEO | Executive Director & CFO | Company Secretary |
| DIN: 00002804 | DIN: 00003260 | ICSI Membership Number: FCS 2966 |

**Date** : October 16, 2018
**Place**: Mumbai

PRESSMAN